07/09/2022 पक्षकारान वकील उपस्थित।

न्यायालय हाजा में अन्य प्रकरण आवेदन सं. 22/2018 दुर्गाराम व अन्य बनाम नोजीदेवी व अन्य के साथ साथ इस पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन के तथ्यों को दृष्टिगत रखने हुए पक्षकारान वकील को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 11.05 बीघा ग्राम निम्बली तहसील सिणधरी में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एंवं विप्रार्थीगण के स्रोतों के बीच किसी प्रकार कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

तथा विप्रार्थीगण के बीच पैदावार संबंधी खेतों के सेढ़ा को लेकर आये दिन सीमाओ को ... पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा ग्राम निम्बली पटवार हल्का पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 78 रकबा 11.05 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है कि प्रकरण मे वर्णित तथ्यों में के सन्दर्भ में पूर्व में सहखातेदारों के मध्य हुए समझोता बटवाड़े में कपटपूर्वक विभाजन की जानकारी प्राप्त होने पर हमारे द्वारा विभाजन की अपील सं. 10/2018 दिनांक 22.01.2018 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में पेश की जिसका निर्णय दिनांक 04.02.2021 के जरिये तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 27.06.2015 के भाग खसरा नम्बर 77 के प्रस्तावित तरमीम नक्शा को अपास्त करते हुए पत्रावली रिमांड करते हुए निर्देशित किया गया कि मोका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन नक्शा स्वीकृत कर तरमीम का अंकन करने की कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश से रूष्ट होकर अप्रार्थीगण रतनाराम व अन्य द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी टी.ए. सं. 1574/2021 दायर की जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब तक की उक्त निगरानी का विधिवत निर्णय नहीं हो तक तब उक्त आवेदन की कार्यवाही को स्थगित रखा जाये अथवा खारिज किया जावे।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा आवेदन सं. 22/2018 अन्तर्गत धारा 251 ए दुर्गाराम बनाम नोजीदेवी व अन्य का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 78 रकबा 11.05 बीघा ग्राम निम्बली तहसील सिणधरी की पक्की नेखमबंदी हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। पूर्व में समस्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर किये गये बंटवाडा प्रस्ताव से रूष्ट होकर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में प्रस्तुत अपील पर पारित निर्णय के जरिये पत्रावली रिमांड के आदेश जारी किये जाने पर प्रार्थीगण रतना व अन्य द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी टी.ए. सं. 1574/2021 दायर की जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मूल कारण पक्षकारान के मध्य पूर्ण में सामलाती खेतों के आपसी बंटवाड़ा एवं कब्जा काश्त को लेकर है। यदि उक्त आवेदन पत्र पर निगरानी के निर्णय से पूर्व किसी प्रकार का आदेश पारित कर दिया जाता है परन्तु यदि निगरानी निर्णय में वर्तमान रेकर्ड में कोई रदोबदल की परिस्थितियां उत्पन्न होती है अथवा मौका परिस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल सभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन के अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त स्थिति को मददेनजर रखते हुए प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी के निर्णय तक स्थगित किया जाकर पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि विचाराधीन निगरानी के निर्णय के अनुसरण में यदि वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती हो तो इसी आवेदन को पुनः बरामदगी करवाते हुए इस्तदुआ के अनुरूप आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

07/09/2022

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested